

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)
 पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - शिविया

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 310/25

दायर दिनांक 22/09/25

निर्णय दिनांक 22/09/25



क्र.सं.,	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कपासलव उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शिविया</u>	<u>298</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.सा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शिविया</u> प.ह. <u>शिविया</u> खातासं. <u>298</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			रस्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	
			हस्ताक्षर पटवारी <u>प.ह. शिविया</u>	हस्ताक्षर निर्याकर <u>Sharma</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>कपासन</u>
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			तहसीलदार (प.सं.) कपासन		

1. पटवारी पटवार मण्डल शिविया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौडगढ